न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–344 / 2022
जी.सी..एम.एस. पोर्टल नम्बर –2022 / 449

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
किशनाराम पुत्र बोदूराम जाति मेघवाल निवासी भूतावा तहसील मकराना जिला नागौर राजस्थान।		1. जिला रसद अधिकारी, नागौर 2. राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक (रसद),मकराना।

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया

निर्णय **दिनांक–** 29-3-23

1– अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का
विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर के द्वारा विभागीय प्रकरण
संख्या–25 / 2022 राजस्थान सरकार बनाम किशनाराम उचित मूल्य दुकानदार, अलतवा तहसील मकराना
के विरुद्ध यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय
शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ
न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2– मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में
कथन किया कि अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस मिलने पर अपीलान्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया
तथा प्रवर्तन निरीक्षण व गवाहो से जिरह का अवसर देने, अपना साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका देने
हेतु जिला रसद अधिकारी से मांग की मगर जिला रसद अधिकारी ने न तो जिरह का मौका दिया और
न ही अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया तथा अपीलान्ट के पीठ पीछे
निर्णय सुना दिया जिसकी शुरू में जानकारी अपीलान्ट को नहीं हो सकी थी। निर्णय की जानकारी
प्रारम्भ में नहीं होने से अपीलान्ट समय भीतर अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता। जानकारी होते ही अपील
पेश कर दी गई। जानकारी से अपील अन्दर मयाद है। समय भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का
समुचित व पर्याप्त कारण होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद
शुमार करने का निवेदन किया है। प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद
बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र अपील खारिज करने का
निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने मयाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिन
पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित
किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3– वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस
में कथन किया ग्राम पंचायत अलतवा के उपभोक्ता रामनारायण शर्मा ने एक झूठी शिकायत जिला कांग्रेस
अध्यक्ष के माध्यम से जिला प्रभारी मन्त्री राजेन्द्र सिंह यादव के समक्ष इस आशय की पेश की कि ग्राम
पंचायत अलतवा के राशन डीलर किशनाराम 80 वर्ष की उम्र का होने से कम्प्यूटर चलाना नहीं जानने,
अन्य व्यक्ति द्वारा राशन वितरण करने, डीलर के पुत्र पौत्र सरकारी कर्मचारी होने, डीलर का ग्राम
पंचायत मुख्यालय अलतवा से चार किलोमीटर दूर भूतावा गांव का निवासी होने, उपभोक्ताओ को सही
जवाब नहीं देने से इस डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर अन्य बेरोजगार व्यक्ति को इस दुकान
का आवंटन करने तथा इस डीलर द्वारा राशन सामग्री वितरण में भारी अनियमितता बरतने की विस्तृत

कलक्टर नागौर

जांच प्रवर्तन निरीक्षक मकराना के अलावा अन्य प्रवर्तन निरीक्षण से कराई जाये। यह शिकायत जिला रसद अधिकारी नागौर को प्राप्त होने पर उन्होने इस शिकायत की जांच रसद कार्यालय नागौर में नियुक्त प्रवर्तन निरीक्षक रामअवतार पूनिया को सुपुर्द की जिन्होने बाद जांच प्राधिकार पत्र की शर्त नौ एवम् सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 का स्पष्ट उल्लंघन होने का आरोप प्रमाणित होने से कानूनी कार्यवाही किये जाने की अभिशंषा की जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 15 / 2022 दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट डीलर को जारी प्राधिकार पत्र दिनांक 10.2.22 को निलम्बित कर अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किये। अपीलान्ट ने उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश कर नोटिस में लगाये तमाम आरोपो का खण्डन किया तथा अपना स्पष्टीकरण पेश कर निलम्बित किये गये प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का निवेदन किया तथा साथ के साथ शिकायतकर्ता, गवाहान, प्रवर्तन निरीक्षक से जिरह करने व अपना साक्ष्य सबूत पेश करने का मौखिक निवेदन किया। उक्त अवसर दिये बिना दिनांक 30.5.2022 को रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी जी ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलान्ट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत की है।

3(1)– अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्ध, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी ने केवल मात्र प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार मात्र पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। जिला रसद अधिकारी ने अपने स्वयं के विवेक अनुसार किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं करने में कानूनी गलती की है।

3(2)– जिला रसद अधिकारी ने बिना किसी आधार के राशन वितरण में अनियमितता मानने तथा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या नौ का उल्लंघन होना मानने में कानूनी गलती की है।

3(3)– जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया और न ही शिकायतकर्ता, तथा शिकायत के समर्थन में जिन व्यक्तियो ने बयान दिये उनसे तथा प्रवर्तन निरीक्षक से जिरह करने का अपीलान्ट को मौका नहीं दिया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त योग्य है।

3(4)– राशन दुकान का संचालन अपीलान्ट स्वयं करता है और किसी भी अन्य व्यक्ति या भंवरलाल को दुकान ठेके पर नहीं दी हुई थी। इस दुकान को अपीलान्ट प्रति रोज खोलता था तथा आये हुए ग्राहको को राशन सामग्री का वितरण किया करता था। प्रतिमास 20 तारीख के बाद दुकान खोलने की शिकायत सर्वथा झूठी थी। शिकायत में सभी आरोप झूठे होते हुए भी उन झूठे आरोपो को साबित मानने में रसद अधिकारी ने कानूनी गलती की है।

3(5)– अपीलान्ट प्रतिदिन दुकान के बाहर बोर्ड लगाता था जिसमे सभी आवश्यक विवरण राशन सामग्री के सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा दर्ज किया जाता था मगर इसके बावजूद बोर्ड पर अंकन नहीं करने का गलत निष्कर्ष निकाल कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

3(6)– अपीलान्ट ने पोश मशीन स्वयं चलाता है तथा सारा कार्य पोश मशीन से किया जाता रहा है मगर इस आधार पर प्राधिकार पत्र खारिज करने में कानूनी गलती की गई है।

3(7)– 4.2.2021 को अपीलान्ट द्वारा राशन की दुकान खुली रखी गई उस अवधि में प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर नहीं आये थे। अपीलान्ट द्वारा दुकान बन्द करके जाने के बाद प्रवर्तन निरीक्षक दुकान पर आये थे लेकिन इस आधार पर यह कयास लगाना कि अपीलान्ट द्वारा दुकान खोली नहीं जाती थी सर्वथा विधि विपरित है।

3(8)– अपीलान्ट द्वारा राज्य सरकार के तमाम निर्देशो की पालना हमेशा की जाती रही है। अपीलान्ट ने राज्य सरकार के किसी भी निर्देश तथा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया और न ही राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 7 का ही उल्लंघन किया है। मगर फिर भी इनका उल्लंघन होना मानकर प्राधिकार पत्र खारिज व निरस्त करने में कानूनी गलती की है।

3(9)– अपीलाधीन निर्णय अवैध, अन्यायोचित तथा पूर्वाग्रहो से ग्रसित होने से एवं राजनैतिक विद्वेषता से झूठी शिकायत अपीलान्ट के विरूद्ध की गई थी तथा मन्त्री के राजनैतिक दबाव के कारण अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया होने से भी अपास्त योग्य है।

कलक्टर नागौर

3(10)– अपीलान्ट को राशन सामग्री वितरित करने हेतु पिछले **25** से भी अधिक सालो से प्राधिकृत किया हुआ है। इतने सालो में अपीलान्ट के विरूद्ध कभी भी राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता या गबन या अन्य किसी तरह का कोई आरोप कभी भी किसी के द्वारा नहीं लगाया गया था जिससे भी साबित है कि राजनैतिक विद्वेषता से झूठी शिकायत अपीलान्ट के विरूद्ध की गई थी तथा प्रवर्तन निरीक्षक व जिला रसद अधिकारी द्वारा सही व निष्पक्ष जांच नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का कथन करते हुए वकील अपील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

4–प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम पंचायत अलतवा के उपभोक्ता श्री रामनारायण शर्मा निवासी अलतवा ने दिनांक 20.12.2021 को अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जिला नागौर के माध्यम से श्री राजेन्द्रसिंह यादव प्रभारी मंत्री जिला नागौर राजस्थान जयपुर के समक्ष शिकायत पेश की जिसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत अलतवा का राशन डीलर संख्या 802 अपीलान्ट श्री किशनाराम लगभग 80 वर्ष की उम्र का होने, कम्प्यूटर चलाना नहीं जानने, अन्य व्यक्ति द्वारा राशन वितरण करने तथा अपीलान्ट के पुत्र पौत्र सरकारी कर्मचारी होने, अपीलान्ट का ग्राम पंचायत मुख्यालय अलतवा से 4 किलोमीटर दूर भूतावा ग्राम का निवासी होने, राशन वितरण करने वाला व्यक्ति उपभोक्ताओं को सही जवाब नही देने से इस अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर अन्य किसी बेरोजगार व्यक्ति को इस दुकान का आवंटन करने तथा इस अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण मे भारी अनियमितता बरतने की विस्तृत जांच प्रवर्तन निरीक्षक से करवाई जावे की शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक को मौके पर विस्तृत जांच करने हेतु दिनांक 20.12.2021 को निर्देशित किया गया। श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.02.2022 को मौके पर पहुंच कर जांच की गई। दौराने जांच दुकान बन्द पाई गई। मौके पर ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान माह की 20 तारीख पश्चात ही दुकान खुलना बताया एवं राशन सामग्री का वितरण 20 तारीख के पश्चात होता है। उपभोक्ताओं सप्ताह के दौरान दुकान बन्द रहती हैं ग्रामीणों ने कि अपीलान्ट डीलर श्री किशनलाल मशीन संख्या 22894 एवं डीलर श्री भंवरलाल आवंटित पोश मशीन संख्या 22893 दोनों दुकानों का संचालन एक ही डीलर श्री भंवरलाल द्वारा किया जाता है श्री भवरलाल ने दूरभाष पर एवं उसके पुत्र श्री देवराज ने मौके पर स्वीकारोक्ति दी। दौराने जांच मौके पर वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4460 पीडीएस का गेहूं लेकर उचित मूल्य दुकान पर पहुंचते ही डीलर भंवरलाल का पुत्र श्री देवराज मौके पर पहुंचा जिसने अपने पिता डीलर श्री भंवरलाल किसी कार्य से अजमेर जाना बताया साथ ही अपीलान्ट पोश मशीन संख्या 22894 की दुकान भी हमे ठेके पर देने एवं बदले में अपीलान्ट को कुछ रूपये देना बताया। मौके पर डीलर श्री भंवरलाल के पुत्र ने अपने पिता से दुरभाष पर बात करवाने पर अलतवा की दोनों दुकानों का संचालन डीलर श्री भंवरलाल स्वयं द्वारा ही करना, हर माह 20 तारीख बाद ही आवंटित राशन सामग्री का वितरण करना स्वीकार किया जिसकी सत्यता की ताईद मौके पर क्षेत्र के उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर की गई। मौके पर डीलर श्री भंवरलाल के उपस्थित पुत्र श्री देवराज को उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करवाने हेतु कहा तो उन्होनें निरीक्षण से मना कर दिया साथ ही डीलर पुत्र श्री देवराज ने अपने पास उचित मूल्य दुकान का पोश मशीन एवं संधारित रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं होना बताया। जांच के दौरान मौके पर आवंटित राशन सामग्री आपूर्ति की ट्रक चालान संख्या सी.एच.ए.डब्ल्यू. 000084990691 की प्रति प्राप्त की जिसमें पोश मशीन संख्या 22893 एवं 22894 में मोबाईल नम्बर एक ही दुकानदार श्री भंवरलाल के मोबाईल नम्बर 9460890970 दर्ज पाये गये जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने अपनी आवंटित उचित मूल्य दुकान श्री भंवरलाल डीलर को ठेके पर संचालन हेतु दे रखी है। अपीलान्ट की पोश मशीन संख्या 22894 एवं डीलर श्री भंवरलाल की पोश मशीन संख्या 22893 की ऑनलाईन डिटेल निकालने पर पाया कि उक्त मशीनों से उपभोक्ता सप्ताह के पश्चात ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। साथ ही उपभोक्ता सप्ताह के दौरान डीलर की दुकान बन्द रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Writ Petition (Civil) No196/2001 People's Union fo Civil Liberties Versus Union of India & Other, Hon'ble Supreme Court of India has Vide its order dated May 08, 2002 directed as follows: The respondents shall ensure that the ration shops remain open through out the month, during fixed

कलक्टर नागौर

hours, the details of which will be displayed in the notice board" Subsequently in its
order dated may 02, 2003 hon'ble supreme court of india has directed as follows:
"Licensees, who do not keep their shops opend through out the month during the
stipulated period, shall make themeselves liable for cancellation of their licences.The
concerned authorities/functionarires would not show any laxity on the subject.' इस प्रकार
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में मुख्यतः उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माह के नियत दिवस में उचित मूल्य
दुकान नहीं खोलने पर उसका लाईसेंस निरस्त करने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट स्तर पर गंभीर अनियमितता
बरतकर प्राधिकार पत्र की शर्त 9 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2015 का स्पष्ट
उल्लघंन करने के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक श्रीरामावतार पूनिया द्वारा उक्तानुसार जाँच रिपोर्ट जिला
रसद अधिकारी महोदय नागौर को प्रस्तुत कर अपीलान्ट के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की
अभिशंषा की, जिस पर जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण
संख्या 15 / 2022 दिनांक 10.02.2022 दर्ज कर अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताऐं बरतना
स्पष्ट होने से अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक 1294 दिनांक 10.02.2022 द्वारा निलम्बित
कर पत्रांक 1291 दिनांक 10.02.2022 द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त
कारण बताओं नोटिस में उल्लेखित किया गया कि 1. यह है कि वक्त जांच आपकी उचित मूल्य दुकान
बन्द पाई गई। बन्द का मूल्य एवं सूचना बोर्ड पर कोई कारण अंकित नहीं पाया। मौके पर ग्रामीणों से
पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने बताया कि दुकान 20 तारीख के पश्चात ही खुलती है और राशन सामग्री
का वितरण होता है। 2.यह है कि मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री किशनलाल
पोश न. 22894 की दुकान का संचालन श्री भंवरलाल द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में दूरभाष पर
श्री भंवरलाल एवं उसके पुत्र ने मौके पर इस बात की स्वीकारोक्ति दी। 3. यह है कि मौके पर कार्यवाही
के दौरान वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी 4460 पीडीएस का गेहूं लेकर उचित मूल्य दुकान पर पहुंचा।
उसे खाली करवाने श्री भंवरलाल का पुत्र श्री देवराज उपस्थित हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि
22894 दुकान का संचालन भी श्री भंवरलाल द्वारा किया जाता है। 4.यह है कि मौके पर ट्रक चालान नं.
सीएचएडब्ल्यू. 000084990691 की प्रति ली गई जिसमें पोश संख्या 22893 व 22894 में मोबाईल नं. एक
ही दुकानदार आपके 9460890970 दर्ज पाये गये। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आपने अपनी उचित
मूल्य दुकान श्री भंवरलाल को पट्टे पर दे रखी है। अपीलान्ट ने दिनांक 14.03.2021 को उपस्थित
होकर कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण/जबाब पेश कर जाहिर किया कि 1. मेरी उचित मल्य
दुकान पंचायत मुख्यालय अलतवा में है तथा अलतवा से मेरा गांव भूतावा की दूरी 4 किलोमीटर है जब
जॉच अधिकारी दुकान पर आये उस समय दुकान पर गेहू की गाड़ी आई हुई थी उस दौरान मैं मेरे गांव
से अलतवा के लिए रास्ते में पैदल ही चल रहा था क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है और दुकान पूरे
महिने खुली रहती है। 2. पोश मशीन नम्बर 22894 मेरे नाम से उसका माल मेरे द्वारा ही वितरण किया
जाता है, लेकिन मशीन चलाने में मैं देवराज का सहयोग लेता हूॅ क्योकि मशीन का कार्य मैं कर नहीं
पाता हूॅ। 3. दुकान से मेरे गांव की दूरी 4 किलोमीटर होने के कारण जब गाडी दुकान पर आती है और
मेरे द्वारा वहां पहुंचने पर काफी देरी हो जाने के कारण दुकान की चाबी देवराज के पास रहती है ताकि
वह समय पर गाडी का माल खाली करवा ले जब तक गाडी खाली होती है, मैं दुकान पर पहूॅच जाता
हूॅ। 4. मेरे पास मोबाईल नहीं होने के कारण डीलर भंवरलाल के मोबाईल नम्बर दिये गये हैं, हमारी
दुकानें पंचायत मुख्यालय पर 500 मीटर की दूरी पर ही है और गेहूं प्राप्त होने के बाद ओ.टी.पी. नम्बर
भी इसी मोबाईल नम्बर से काम में लेते है मेरे पास मोबाईल नहीं होने के कारण गेहूॅ प्राप्ति का सदेंश व
ओ टी पी हेतु यही नम्बर दिये गये है तथा इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरी दुकान का कार्य मेरे
स्वंय के द्वारा ही किया जाता है तथा दुकान पर देवराज सहयोगी के रूप में कार्य करता है, जो डीलर
भंवरलाल का पुत्र है तथा दुकान डीलर भंवर से कोई लेना देना नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट
ने उसके विरूद्ध दर्ज विभागीय प्रकरण को निरस्त कर प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का निवेदन
किया। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने स्वंय की उ.मू.दुकान खुली होने के संबंध में अपने
कथन के अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जबकि प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनिया ने
वक्त जॉच दुकान के सामने खड़े होकर ली गई फोटो प्रस्तुत की है, जो विभागीय प्रकरण की पत्रावली
में संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जॉच अपीलान्ट की दुकान बंद थी। अपीलान्ट की
उचित मूल्य दुकान का संचालन भंवरलाल द्वारा किये जाने के तथ्य की पुष्टि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके

कलक्टर नागौर

पर तैयार की गई फर्द मौका दिनांक 04.02.2022 से होती है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपीलान्ट की दुकान का भी संचालन श्री भवरलाल द्वारा करना बताया है, भवरलाल के पुत्र देवराज के भी मौके पर बयान लिये गये, जिनमें उसने अपीलान्ट की दुकान का संचालन हमारे द्वारा किया जाना एवं दुकान के बदले अपीलान्ट द्वारा कुछ पैसा लेना बताया है। फर्द मौका दिनांक 04.04.2022 में अंकितानुसार मौके पर कार्यवाही के दौरान वाहन संख्या आर.जे.21 जी.सी. 4460 पीडीएस का गेहूँ लेकर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर पहूंचने पर उस गेहूँ को दुकान में उतरवाने भी देवराज आया और उसने यह भी बताया कि राशन वितरण हर महिने की 20 तारीख के बाद ही करते है। भंवरलाल से दूरभाष बताया कि वह अजमेर गया है, और राशन वितरण हर महिने की 20 तारीख के बाद में ही करते है। भंवरलाल ने भी स्वीकार किया कि अपीलान्ट किशनलाल की दुकानउसके द्वारा ही संचालित की जाती है बदले में किशनलाल को कुछ रूपये देते है। मौके पर ट्रक चालान नं0 सीएचएडब्ल्यू.000084990691 की प्रति ली गई जिसमें पोश संख्या 22893 व 22894 में मोबाईल नम्बर एक ही दुकानदार श्री भवंरलाल के मोबाईल नम्बर 9460890970 दर्ज पाये गये, इस दस्तावेजी साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलान्ट किशनलाल की दुकान का भी संचालन श्री भवरलाल द्वारा पटटे पर लेकर किया जा रहा है। उक्त फर्द मौका दिनांक 04.02.2022 मौके पर तैयार की गई एवं जिस पर देवराज ने तथा अन्य उपस्थित गवाहान मोतीलाल व गुमानाराम के भी हस्ताक्षर है, इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं शासन उप सचिव, खाद्य विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 97 (8) खा. वि./सा.वि.प्र./2000 जयपुर, दिनांक 07.05.2001 ऐसी उचित मूल्य के दुकानदार जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है अथवा जो विकलांगता के कारण चलने–फिरने में अक्षम हो अथवा प्राधिकृतधारी महिला विधवा हो तो इस वर्ग के प्राधिकृतधारी अपनी सहायता के लिए किसी निकट रिश्तेदार को वितरण सामग्री उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। उपरोक्त श्रेणी के प्राधिकृतधारियों द्वारा इस तरह का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनको वितरण सामग्री उठाने के लिए जिला रसद अधिकारी अधिकृत कर दें। अधिकृत किये गये व्यक्तियों को फोटो पहचान पत्र आवश्यक रूप से जारी किया जावे ताकि इस स्वीकृति का दुरूपयोग न हो सके, के निर्देश है, उक्त संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम व खाद्य विभाग से संबंधित सहपठित नियंत्रण आदशों का 30.11.2012 तक अद्यतन संकलन के संबंध जारी स्मारिका परिपत्रिका 2013 के पृष्ठ संख्या 95 बिन्दु संख्या–63 पर अंकित है। परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील युक्ति–युक्त विधि संगत होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

5–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 20.12.2021 को अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जिला नागौर के माध्यम से श्री राजेन्द्रसिंह यादव प्रभारी मंत्री जिला नागौर राजस्थान जयपुर के समक्ष शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक को मौके पर विस्तृत जांच करने हेतु दिनांक 20.12.2021 को निर्देशित किया गया। श्री रामावतार पूनियां प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.02.2022 को मौके पर पहुंच कर जांच की गई। दौराने जांच दुकान बन्द पाई गई। मौके पर ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान माह की 20 तारीख पश्चात ही दुकान खुलना बताया एवं राशन सामग्री का वितरण 20 तारीख के पश्चात होता है। उपभोक्ताओं सप्ताह के दौरान दुकान बन्द रहती हैं ग्रामीणों ने मशीन संख्या 22894 एवं डीलर श्री भंवरलाल आवंटित पोश मशीन संख्या 22893 दोनों का संचालन एक ही डीलर श्री भंवरलाल एवं उसके पुत्र श्री देवराज ने मौके पर स्वीकारोक्ति दी। दौराने जांच मौके पर वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी. 4460 पीडीएस का गेहूं लेकर उचित मूल्य दुकान पर पहुंचते ही डीलर भंवरलाल का पुत्र श्री देवराज मौके पर पहुंचा जिसने अपने पिता डीलर श्री भंवरलाल किसी कार्य से अजमेर जाना बताया साथ ही अपीलान्ट पोश मशीन संख्या 22894 की दुकान भी हमे ठेके पर देने एवं बदले में अपीलान्ट को कुछ रूपये देना बताया। मौके पर डीलर श्री भंवरलाल के पुत्र ने अपने पिता से दुरभाष पर बात करवाने पर अलतवा की दोनों दुकानों का संचालन डीलर श्री भंवरलाल स्वयं द्वारा ही करना, हर माह 20 तारीख बाद ही आवंटित राशन सामग्री का वितरण करना स्वीकार किया जिसकी सत्यता की ताईद मौके पर क्षेत्र के उपस्थित उपभोक्ताओं द्वारा मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर की गई। मौके पर डीलर श्री भंवरलाल के उपस्थित पुत्र श्री देवराज को उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करवाने हेतु कहा तो उन्होनें निरीक्षण से

कलक्टर नागौर

मना कर दिया साथ ही डीलर पुत्र श्री देवराज ने अपने पास उचित मूल्य दुकान का पोश मशीन एवं संधारित रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं होना बताया। जांच के दौरान मौके पर आवंटित राशन सामग्री आपूर्ति की ट्रक चालान संख्या सी.एच.ए.डब्ल्यू. 000084990691 की प्रति प्राप्त की जिसमें पोश मशीन संख्या 22893 एवं 22894 में मोबाईल नम्बर एक ही दुकानदार श्री भंवरलाल के मोबाईल नम्बर 9460890970 दर्ज पाये गये जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने अपनी आवंटित उचित मूल्य दुकान श्री भंवरलाल डीलर को ठेके पर संचालन हेतु दे रखी है। अपीलान्ट की पोश मशीन संख्या 22894 एवं डीलर श्री भंवरलाल की पोश मशीन संख्या 22893 की ऑनलाईन डिटेल निकालने पर पाया कि उक्त मशीनों से उपभोक्ता सप्ताह के पश्चात ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। साथ ही उपभोक्ता सप्ताह के दौरान डीलर की दुकान बन्द रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Writ Petition (Civil) No196/2001 People's Union fo Civil Liberties Versus Union of India & Other, Hon'ble Supreme Court of India has Vide its order dated May 08, 2002 directed as follows: The respondents shall ensure that the ration shops remain open through out the month, during fixed hours, the details of which will be displayed in the notice board" Subsequently in its order dated may 02, 2003 hon'ble supreme court of india has directed as follows: "Licensees, who do not keep their shops opend through out the month during the stipulated period, shall make themeselves liable for cancellation of their licences.The concerned authorities/functionarires would not show any laxity on the subject.' इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में मुख्यतः उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माह के नियत दिवस में उचित मूल्य दुकान नहीं खोलने पर उसका लाईसेंस निरस्त करने का उल्लेख किया है। अपीलान्ट स्तर पर गंभीर अनियमितता बरतकर प्राधिकार पत्र की शर्त 9 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2015 का स्पष्ट उल्लघंन करने के संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक श्रीरामावतार पूनिया द्वारा उक्तानुसार जॉच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी नागौर को प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 15/2022 दिनांक 10.02.2022 दर्ज कर अपीलान्ट द्वारा प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताऐं बरतना स्पष्ट होने से अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र आदेश क्रमांक 1294 दिनांक 10.02.2022 द्वारा निलम्बित कर पत्रांक 1291 दिनांक 10.02.2022 द्वारा अपीलान्ट को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 1. यह है कि वक्त जांच आपकी उचित मूल्य दुकान बन्द पाई गई। बन्द का मूल्य एवं सूचना बोर्ड पर कोई कारण अंकित नहीं पाया। मौके पर ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने बताया कि दुकान 20 तारीख के पश्चात ही खुलती है और राशन सामग्री का वितरण होता है। 2.यह है कि मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री किशनलाल पोश न. 22894 की दुकान का संचालन श्री भंवरलाल द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में दूरभाष पर श्री भंवरलाल एवं उसके पुत्र ने मौके पर इस बात की स्वीकारोक्ति दी। 3. यह है कि मौके पर कार्यवाही के दौरान वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.सी 4460 पीडीएस का गेहूं लेकर उचित मूल्य दुकान पर पहुंचा। उसे खाली करवाने श्री भंवरलाल का पुत्र श्री देवराज उपस्थित हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि 22894 दुकान का संचालन भी श्री भंवरलाल द्वारा किया जाता है। 4.यह है कि मौके पर ट्रक चालान नं. सीएचएडब्ल्यू. 000084990691 की प्रति ली गई जिसमें पोश संख्या 22893 व 22894 में मोबाईल नं. एक ही दुकानदार आपके 9460890970 दर्ज पाये गये। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आपने अपनी उचित मूल्य दुकान श्री भंवरलाल को पट्टे पर दे रखी है।

5(1)—अपीलान्ट ने दिनांक 14.03.2021 को उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण/जबाब पेश कर जाहिर किया कि 1. मेरी उचित मल्य दुकान पंचायत मुख्यालय अलतवा में है तथा अलतवा से मेरा गांव भूतावा की दूरी 4 किलोमीटर है जब जॉच अधिकारी दुकान पर आये उस समय दुकान पर गेहू की गाड़ी आई हुई थी उस दौरान मैं मेरे गांव से अलतवा के लिए रास्ते में पैदल ही चल रहा था क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है और दुकान पूरे महिने खुली रहती हैं। 2. पोश मशीन नम्बर 22894 मेरे नाम से उसका माल मेरे द्वारा ही वितरण किया जाता है, लेकिन मशीन चलाने में मैं देवराज का सहयोग लेता हूँ क्योंकि मशीन का कार्य मैं कर नहीं पाता हूँ। 3. दुकान से मेरे गांव की दूरी 4 किलोमीटर होने के कारण जब गाडी दुकान पर आती है और मेरे द्वारा वहां पहुंचने पर काफी देरी हो जाने के कारण दुकान की चाबी देवराज के पास रहती है ताकि वह समय पर गाडी का माल खाली करवा ले जब तक गाडी खाली होती है, मैं दुकान पर पहूँच जाता हूँ। 4. मेरे पास मोबाईल नहीं

कलक्टर नागौर

होने के कारण डीलर भंवरलाल के मोबाईल नम्बर दिये गये है, हमारी दुकानें पंचायत मुख्यालय पर 500 मीटर की दूरी पर ही है और गैहूं प्राप्त होने के बाद ओ.टी.पी. नम्बर भी इसी मोबाईल नम्बर से काम में लेते है मेरे पास मोबाईल नहीं होने के कारण गेहूँ प्राप्ति का सदेंश व ओ टी पी हेतु यही नम्बर दिये गये हैं तथा इससे मुझे कोई समस्या नहीं है। मेरी दुकान का कार्य मेरे स्वंय के द्वारा ही किया जाता है तथा दुकान पर देवराज सहयोगी के रूप में कार्य करता है, जो डीलर भंवरलाल का पुत्र है तथा दुकान डीलर भंवर से कोई लेना देना नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्ट ने उसके विरुद्ध दर्ज विभागीय प्रकरण को निरस्त कर प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का निवेदन किया। उक्त संबंध में उल्लेखनीय हैं कि अपीलान्ट ने स्वंय की उ.मू.दुकान खुली होने के संबंध में अपने कथन के अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जबकि प्रवर्तन निरीक्षक श्री रामावतार पूनिया ने वक्त जाँच दुकान के सामने खड़े होकर ली गई फोटो प्रस्तुत की है, जो विभागीय प्रकरण की पत्रावली में संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जाँच अपीलान्ट की दुकान बंद थी। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान का संचालन भंवरलाल द्वारा किये जाने के तथ्य की पुष्टि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर तैयार की गई फर्द मौका दिनांक 04.02.2022 से होती है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपीलान्ट की दुकान का भी संचालन श्री भवरलाल द्वारा करना बताया है, भवरलाल के पुत्र देवराज के भी मौके पर बयान लिये गये, जिनमें उसने अपीलान्ट की दुकान का संचालन हमारे द्वारा किया जाना एवं दुकान के बदले अपीलान्ट द्वारा कुछ पैसा लेना बताया हैं। फर्द मौका दिनांक 04.04.2022 में अंकितानुसार मौके पर कार्यवाही के दौरान वाहन संख्या आर.जे.21 जी.सी. 4460 पीडीएस का गेहूँ लेकर अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान पर पहूंचने पर उस गेहूँ को दुकान में उतरवाने भी देवराज आया और उसने यह भी बताया कि राशन वितरण हर महिने की 20 तारीख के बाद ही करते हैं। भंवरलाल से दूरभाष बताया कि वह अजमेर गया है, और राशन वितरण हर महिने की 20 तारीख के बाद में ही करते है। भंवरलाल ने भी स्वीकार किया कि अपीलान्ट किशनलाल की दुकानउसके द्वारा ही संचालित की जाती है बदले में किशनलाल को कुछ रूपये देते है। मौके पर ट्रक चालान नं0 सीएचएडब्ल्यू.000084990691 की प्रति ली गई जिसमें पोश संख्या 22893 व 22894 में मोबाईल नम्बर एक ही दुकानदार श्री भवंरलाल के मोबाईल नम्बर 9460890970 दर्ज पाये गये, इस दस्तावेजी साक्ष्य से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलान्ट किशनलाल की दुकान का भी संचालन श्री भवरलाल द्वारा पट्टे पर लेकर किया जा रहा है। उक्त फर्द मौका दिनांक 04.02.2022 मौके पर तैयार की गई एवं जिस पर देवराज ने तथा अन्य उपस्थित गवाहान मोतीलाल व गुमानाराम के भी हस्ताक्षर है, इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं शासन उप सचिव, खाद्य विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 97 (8) खा. वि. /सा.वि.प्र. /2000 जयपुर, दिनांक 07.05.2001 के अनुसार ऐसी उचित मूल्य के दुकानदार जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है अथवा जो विकलांगता के कारण चलने–फिरने में अक्षम हों अथवा प्राधिकृतधारी महिला विधवा हो तो इस वर्ग के प्राधिकृतधारी अपनी सहायता के लिए किसी निकट रिश्तेदार को वितरण सामग्री उठाने के लिए प्राधिकृत कर सकते है। उपरोक्त श्रेणी के प्राधिकृतधारियों द्वारा इस तरह का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनको वितरण सामग्री उठाने के लिए जिला रसद अधिकारी अधिकृत कर दें। अधिकृत किये गये व्यक्तियों को फोटो पहचान पत्र आवश्यक रूप से जारी किया जावे ताकि इस स्वीकृति का दुरूपयोग न हो सके, के निर्देश है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील युक्ति–युक्त विधि संगत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6–उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

7–निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर